बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड, पटना – 15

पत्रांक– बी0एच0आर0सी0 / विविध–02 / 2023 .... पटना, दिनांक 2023

सूचना

निदेशानुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय विधि छात्र एवं छात्राओं हेतु 04 (चार) सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम निम्नानुसार आयोजित किया जायेगा :–

क्र0सं0	अवधि	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि
1.	04.12.2023 से 29.12.2023	24.11.2023 (सांय 05.00 बजे तक)

इच्छुक छात्र / छात्राएँ अपना आवेदन E-mail (sec-bhrc@nic.in), डाक द्वारा अथवा आयोग कार्यालय में हाथोहाथ जमा कर सकते है। आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज समर्पित करना होगा :–

(i) आवेदन पत्र (हस्तलिखित)
(ii) छात्र / छात्रा का परिचय–पत्र (छाया प्रति) एवं बायोडाटा
(iii) संबंधित संस्थान के सक्षम प्राधिकार के हस्ताक्षर से निर्गत, अनुशंसा पत्र (Recommendation Letter) जो अध्यक्ष / सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग को संबोधित हो (मूल प्रति)।

इंटर्नशिप हेतु आवश्यक शर्तें निम्नवत् है :–

(i) ससमय आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त समझाा जायेगा।
(ii) विधि के तृतीय वर्ष एवं उससे वरीय छात्र–छात्राओं को वरीयता दी जायेगी।
(iii) दिनांक 04.12.2023 को इंटर्नशिप हेतु प्रतिवेदित न करने वाले प्रतिभागियों के आवेदन को निरस्त समझा जायेगा।
(iv) ईमेल के माध्यम से आवेदन करने वाले छात्र–छात्राओं को समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति इंटर्नशिप के प्रथम दिन (दिनांक 04.12.2023) आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
(v) इंटर्नशिप अवधि में 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। एक दिन से अधिक की अनुपस्थिति प्रमाण पत्र में अंकित की जायेगी।
(vi) तीन (03) सप्ताह (15 कार्य दिवस) से कम उपस्थिति की स्थिति में प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
(vii) किसी भी आवेदन को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

ह0 / –
संयुक्त सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

ज्ञापांक– बी0एच0आर0सी0 / विविध– 02 / 2023 ..1682९ पटना, दिनांक 09/11/2023

प्रतिलिपि : माननीय अध्यक्ष कोषांग / माननीय सदस्य कोषांग / सचिव कोषांग / अपर पुलिस महानिदेशक कोषांग, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

02. सुश्री सुप्रिया कुमारी, आई0टी0 प्रबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को आयोग के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

09/11/23
संयुक्त सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना